

सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII/17

भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली
दिनांक: 3 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों, निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों का 1.1.2017 से वेतन संशोधन – विसंगति समिति का गठन।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों, निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के 1.1.2017 से वेतन संशोधन संबंधी सरकार के निर्णय के बारे में इस विभाग के दिनांक 3 अगस्त, 2017 के का.ज्ञा. सं. डब्ल्यू-02/0028/2017 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 19 में वेतन संशोधन संबंधी सरकार के निर्णय के दिनांक 01.01.2017 से कार्यान्वयन में आने वाले विशिष्ट मुद्दों/समस्याओं का समाधान करने हेतु विसंगति समिति के गठन का प्रावधान है। तदनुसार, निम्नलिखित संघटन के साथ विसंगति समिति का गठन किया गया है:

1. सचिव, लोक उद्यम विभाग,
2. सचिव, व्यय विभाग
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

समिति का कार्यकाल इस कार्यालय ज्ञापन को जारी किए जाने की तारीख से 2 वर्षों का होगा।

राजेश
(राजेश कुमार चौधरी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

1. सचिव, व्यय विभाग
2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

प्रतिलिपि:

सचिव, लोक उद्यम विभाग के प्रधान निजी सचिव।

भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (सचिव के नाम से)

प्रतिलिपि सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालकों को।

प्रतिलिपि:

- i) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार
- ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, 9, दीनदयाल मार्ग, नई दिल्ली
- iii) व्यय विभाग, ई-V शाखा, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (सीपीसी वेतन 1), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- v) अध्यक्ष, पीईएसबी/सचिव, पीईएसबी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

- i) प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री तरुण बजाज, अपर सचिव)
- ii) मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री एस.ए.एम. रिज्वी, संयुक्त सचिव)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

- i) मंत्री (भा.उ. एवं लो.उ.) के निजी सचिव
- ii) राज्य मंत्री (भा.उ. एवं लो.उ.) के निजी सचिव
- iii) सचिव, लोक उद्यम के निजी सचिव
- iv) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (लोक उद्यम)
- v) लोक उद्यम विभाग के सभी अधिकारी
- vi) एनआईसी सेल, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

२५/१२

(समसुल हक)

अवर सचिव, भारत सरकार